परिशिष्ट

नगर पालिका रींगस जिला–सीकर

पत्रावली संख्या 135 दिनांक 11-12-2012 पट्टा संख्या 298 दिनांक 14-12-2012

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर–कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन)
नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का पट्टा विलेख

यह विलेख आज वर्ष 2012 के माह दिस. के 14 वे दिन नगर पालिका रींगस (जिन्हें इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री [illegible] पुत्र श्री [illegible] जाति .... व्यवसाय .... निवासी रींगस (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इबारत में जहां कहीं प्रसंग से वैसा अर्थ निकलें, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबन्धक, प्रतिनिधि और मुन्तकिल अलैह भी सम्मिलित होगें) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्ष्यांकित करता है कि प्रीमियम 2,33,309/- तथा विकास शुल्क 1,95,980/- की कुल 4,29,289/- अंकेही [illegible] रूपये रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा ~~रसीद नम्बर~~/चालान नम्बर 54 दिनांक 14-12-12 द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तो और करारों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेगें, के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का वह तमाम भूखण्ड (जिन्हें इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना [illegible] राजस्व ग्राम रींगस के खसरा नम्बर 717 क्षेत्रफल 4666.18 [illegible] में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इसके संलग्न नक्शे में लाल रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्वत्वों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, बंधनों, शर्तों और करारों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपभोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा अर्थात्:–

1. लीजधारक नगर निकाय के कार्यलय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय–समय पर इस हेतु नियत कर दें, प्रत्येक वर्ष के अप्रेल प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप–नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर [illegible] रूपये 2,98,635/- अंकेही [illegible] मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, चदि चाहे तो, एक बारीय नगरीय (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) की राशि जमा करा सकेगा, जो उस वर्ष, जिसमें राशि जमा करायी जाती है को सम्मिलित करते हुए पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
2. एक बार नियम किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या यथास्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
3. पट्टे की अवधि – पट्टाधृति अधिकार 99 वर्ष के लिए होगें।
4. उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल आवासीय प्रयोजन जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जावेगा।
5. इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम–26 के अन्तर्गत बढा दी जावें, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
6. लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप–पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निबंधन और शर्ते और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप–पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होगें मानो प्रश्नगत उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप–पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अवधारित की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप–पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तो या किन्हीं पृथक आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर इस निमित विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, शासित होगें।

अधिशाषी अधिकारी
नगरपालिका, रींगस

उप पंजीयक
श्रीमाधोपुर (सीकर)

7. उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान–विलेख या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेगें। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रूपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निक्षिप्त की जायेगी, परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रभावित नहीं की जायेगी।

8. उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परादेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या ब्याज, आन्तरिक/ब्राह्म विकास प्रभारों का कोई बकाया राजस्थान भू–राजस्व अधिनियक, 1956 के अधीन भू–राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलीय होगा।

9. यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरभिसंधि या उसके उल्लघंन में कपटपूर्ण दस्तावेज के अधार पर दुर्व्यपदेशन द्वारा अभिप्रगाप्त किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसंहृत करेगा जो सभी प्रभारों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेगें, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसान के लिए दायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिड्यूल्ड बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ.सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

परिशिष्ट

कस्बे का नाम:– रींगस
राजस्व ग्राम :– रींगस
खसरा नम्बर :– 717
विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल वर्गगज/मीटर
4666.18 वर्गगज

भूमि का नाप व चतु सीमा का विवरण
पूर्व 110'1" फीट
पश्चिम 212'11" फीट
उत्तर 329'9" फीट
दक्षिण 281'4" फीट
क्षेत्रफल 4666.18 वर्गगज

मानचित्र संलग्न है।

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकेन ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने हस्ताक्षर कर दिये है।

नगरीय निकास की ओर से

आज सन् 2012 के माह दिस. के 14 वें दिन श्री रूपचंद चौधरी E.O. न.पा. रींगस के निम्न की उपस्थिति में (स्थान) में हस्ताक्षर किये –

अधिशाषी अधिकारी
नगर पालिका रींगस

अध्यक्ष
नगर पालिका रींगस

साक्षी :–

1. नाम अनिल कुमार बारड़
पुत्र श्री मोर सिंह बारड़
व्यवसाय अध्यापन
निवास स्थान पिपराली रोड, सीकर

साक्षी

2. नाम अशोक कुमार
पुत्र श्री हरिनारायण
व्यवसाय
निवास स्थान वार्ड 14 रींगस

साक्षी

आज सन् 2012 के माह दिस. के 14 वें दिन श्री भारतीय शिक्षा निकेतन, रींगस सचिव के निम्न की उपस्थिति में (स्थान) में हस्ताक्षर किये – राधाकिशन

(लीजधारक – द्वितीय पक्ष)

साक्षी :–

1. नाम सुशील झलानी
पुत्र
व्यवसाय व्यापार
निवास स्थान
साक्षी

2. नाम
पुत्र हनुमान सहाय
व्यवसाय व्यापार
निवास स्थान वार्ड नं. 2

साक्षी

परिशिष्ट

नगर पालिका रींगस जिला–सीकर

पत्रावली संख्या 1021 दिनांक 15/2/2013 पट्टा संख्या 575 दिनांक 8-5-2013

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर–कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का पट्टा विलेख

प्रशासन शहरों के संग अभियान 2012

यह विलेख आज वर्ष 2013 के माह मई के 08 वे दिन नगर पालिका रींगस (जिन्हें इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री भारती शिक्षा संस्थान जरिये सचिव राधाकिशन पुत्र श्री पुत्र श्री परतारा(म) जाति — व्यवसाय — निवासी वार्ड नं० - 20, रींगस (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इबारत में जहां कहीं प्रसंग से वैसा अर्थ निकलें, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबन्धक, प्रतिनिधि और मुन्तकिल अलैह भी सम्मिलित होगें) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्ष्यांकित करता है कि प्रीमियम 195963=00 तथा विकास शुल्क 244954=00 की कुल 440917=00 अंकेही चार लाख चालीस हजार नौ सौ सत्तरह रूपये रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा रसीद नम्बर/चालान नम्बर 390 दिनांक 8/5/2013 द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और करारों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेगें, के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का वह तमाम भूखण्ड (जिन्हें इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना स्नेहलता कॉलोनी, वार्ड नं० 20 राजस्व ग्राम रींगस के खसरा नम्बर 717 क्षेत्रफल 4899.08 व.मी. में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इसके संलग्न नक्शे में लाल रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्वत्वों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, बंधनों, शर्तों और करारों के अधीन खरीद्दार अपने उपयोग, उपभोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा अर्थात्:–

1. लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय–समय पर इस हेतु नियत कर दें, प्रत्येक वर्ष के अप्रेल प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप–नियम (1) के अर्न्तगत निर्धारित किये गये निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रूपये 156770=00 अंकेही एक लाख छप्पन हजार सात सौ सत्तर रुपये मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, चदि चाहे तो, एक बारीय नगरीय (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) की राशि जमा करा सकेगा, जो उस वर्ष, जिसमें राशि जमा करायी जाती है को सम्मिलित करते हुए पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
2. एक बार नियम किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या यथास्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
3. पट्टे की अवधि – पट्टाधृति अधिकार 99 वर्ष के लिए होगें।
4. उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल संस्थानिक प्रयोजन जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जावेगा।
5. इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम–26 के अन्तर्गत बढा दी जावें, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
6. लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप–पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निबंधन और शर्ते और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप–पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होगें मानो प्रश्नगत उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप–पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अवधारित की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप–पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किन्हीं पृथक आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर इस निमित विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, शासित होगें।

अधिशाषी अधिकारी
नगर पालिका रींगस

उप पंजीयक
श्रीमाधोपुर (सीकर)

7. उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान–विलेख या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेगें। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रूपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निक्षिप्त की जायेगी, परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रभावित नहीं की जायेगी।
8. उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परादेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या ब्याज, आन्तरिक/ब्राह्य विकास प्रभारों का कोई बकाया राजस्थान भू–राजस्व अधिनियक, 1956 के अधीन भू–राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलीय होगा।
9. यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरभिसंधि या उसके उल्लघंन में कपटपूर्ण दस्तावेज के अधार पर दुर्व्यपदेशन द्वारा अभिप्रगाप्त किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसंहृत करेगा जो सभी प्रभारों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेगें, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसान के लिए दायी नहीं होगा।
10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिड्यूल्ड बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्था/एच.डी. एफ.सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

परिशिष्ट

कस्बे का नाम :– रींगस
राजस्व ग्राम :– रींगस
खसरा नम्बर :– 717
विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल वर्गगज/मीटर
4899.08 वर्ग गज संलग्नानुसार

भूमि का नाप व चतु सीमा का विवरण
पूर्व 243'-4" फीट
पश्चिम 202'-3" फीट
उत्तर 263'-10" फीट
दक्षिण 156'-10" फीट
क्षेत्रफल 4899.08 वर्गगज

मानचित्र संलग्न है।

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकेन ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने हस्ताक्षर कर दिये है।

नगरीय निकास की ओर से

आज सन् 2013 के माह मार्च के 08 वें दिन
श्री [illegible] चौधरी E.O. न.पा. रींगस
के निम्न की उपस्थिति में (स्थान) में हस्ताक्षर किये –

अधिशाषी अधिकारी
नगर पालिका रींगस

अध्यक्ष
नगर पालिका रींगस

साक्षी :–
1. नाम [illegible]
पुत्र [illegible]
व्यवसाय [illegible]
निवास स्थान [illegible]

साक्षी

2. नाम [illegible]
पुत्र [illegible]
व्यवसाय [illegible]
निवास स्थान [illegible] रींगस

साक्षी

आज सन् 2013 के माह मार्च के 08 वें दिन
श्री [illegible]
के निम्न की उपस्थिति में (स्थान) में हस्ताक्षर किये –

(लीजधारक – द्वितीय पक्ष)

साक्षी :–
1. नाम [illegible] शर्मा
पुत्र [illegible] शर्मा
व्यवसाय [illegible]
निवास स्थान [illegible] रींगस

साक्षी

2. नाम ओमप्रकाश
पुत्र श्री [illegible]
व्यवसाय [illegible]
निवास स्थान वार्ड नं. 20, रींगस

साक्षी

उप पंजीयक
श्रीमाधोपुर (सीकर)

भारतीय गैर न्या
भारत INDIA
रु. 500 FIVE HUNDRED
पाँच सौ रुपये
सत्यमेव जयते
INDIA NON JUDICIAL

राजस्थान RAJASTHAN

K 026245

1. आधारभूत अवसंरचना सुविधाओं हेतु (धारा 3-क) - 10% रुपये 50/-
2. गाय और उसकी नस्ल के संरक्षण और संवर्धन हेतु (धारा 3-ख) - 10% रुपये 50/-
कुल योग 100/-
हस्ताक्षर स्टाम्प वेन्डर

उप पंजीयक (सीकर-राज.)

उप खण्ड कार्यालय
3 - AUG 2018
श्रीमाधोपुर

विक्रय लेख

1.लेख का प्रकार	विक्रय लेख
2.नाम विक्रेता पूर्ण विवरण	बी.पी.एस. शिक्षण संस्थान रींगस जरिये सचिव अनिल बाटड़ उम्र 38 वर्ष पुत्र मोट सिंह बाटड़ जाति जाट निवासी जयोति नगर, सीकर, राज0
3.नाम क्रेता पूर्ण विवरण सहित	भारती शिक्षा संस्थान रींगस जरिये सचिव राधाकिशन रणवां उम्र 40 वर्ष पुत्र परताराम जाति जाट निवासी भारतीय स्कुल केम्पस, वार्ड नम्बर-1 रींगस, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर, राज0

शेष पृष्ठ 2

(सुमन देवी)
उपपंजीयक
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग
श्रीमाधोपुर (सीकर)

4.विवरण सम्पत्ति जो विक्रय की गई है	कस्बा रींगस तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर, राजस्थान स्नेहलता पैद्दार कॉलोनी, वर्तमान वार्ड नम्बर-1 में स्थित भूमि खसरा नम्बर 717 में संस्थानिक प्रयोजनार्थ जारी 3062.24 वर्गगज पट्टाशुदा में से 05 (पाँच) वर्गमीटर उत्तरी-पूर्वी तरफ के भू-खण्ड का विक्रय।
5.विक्रय राशि	प्रतिफल राशि 25,000/- मूल्याकंन राशि 24,435/-
6.अन्य विवरण	(1) विक्रित भू-खण्ड मौके पर खाली है। (2) विक्रित भू-खण्ड मुख्य सड़कों को छोडकर पिछे स्थित है। (3) विक्रित भू-खण्ड की दर 4887/-रूपये प्रति वर्गमीटर से अधिक नहीं है। (5) पट्टा विलेख की प्रति व नजरी नक्शा संलग्न है।
7.मुद्रांक शुल्क	500/1 = 500/-

8.विशद् विवरण

यह कि कस्बा रींगस (तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर, राजस्थान) स्नेहलता पैद्दार कॉलोनी, वर्तमान वार्ड नम्बर-1 में स्थित भूमि खसरा नम्बर 717 में संस्थानिक प्रयोजनार्थ जारी 3062.24 वर्गगज का पट्टा संख्या 297 दिनांक 14.12.2012 को नगरपालिका रींगस द्वारा विक्रेताः-बी.पी.एस. शिक्षण संस्थान रींगस जरिये सचिव अनिल बाटड़ पुत्र मोट सिंह बाटड़ जाति जाट निवासी जयोति नगर, सीकर, राज0 के नाम से जारी किया गया है। उक्त पट्टा उप पंजीयक कार्यालय श्रीमाधोपुर में दिनांक 17.12.2012 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 460 में पृष्ठ संख्या 28 क्रम संख्या 2012007250 पर पंजिबद्ध होकर अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 837 के पृष्ठ संख्या 70 से

शेष पृष्ठ 3

(सुमन देवी)
उपपंजीयक
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग
श्रीमाधोपुर (सीकर)

नजरी नक्शा

विक्रेताः- बी.पी.एस. शिक्षण संस्थान रींगस जरिये सचिव अनिल बाटड़ पुत्र मोटसिंह बाटड़ जाति जाट निवासी जयोति नगर, सीकर, राज0

क्रेताः- भारती शिक्षा संस्थान रींगस जरिये सचिव राधाकिशन रणवां पुत्र परताराम जाति जाट निवासी भारतीय स्कुल केम्पस, वार्ड नम्बर-1 रींगस, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर, राज0

सम्पत्ति जो विक्रय की गई

कस्बा रींगस (तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर, राजस्थान) स्नेहलता पैद्दार कॉलोनी, वर्तमान वार्ड नम्बर-1 में स्थित भूमि खसरा नम्बर 717 में संस्थानिक प्रयोजनार्थ जारी 3062.24 वर्गगज पट्टाशुदा में से 05 (पाँच) वर्गमीटर उत्तरी-पूर्वी तरफ के भू-खण्ड का विक्रय।

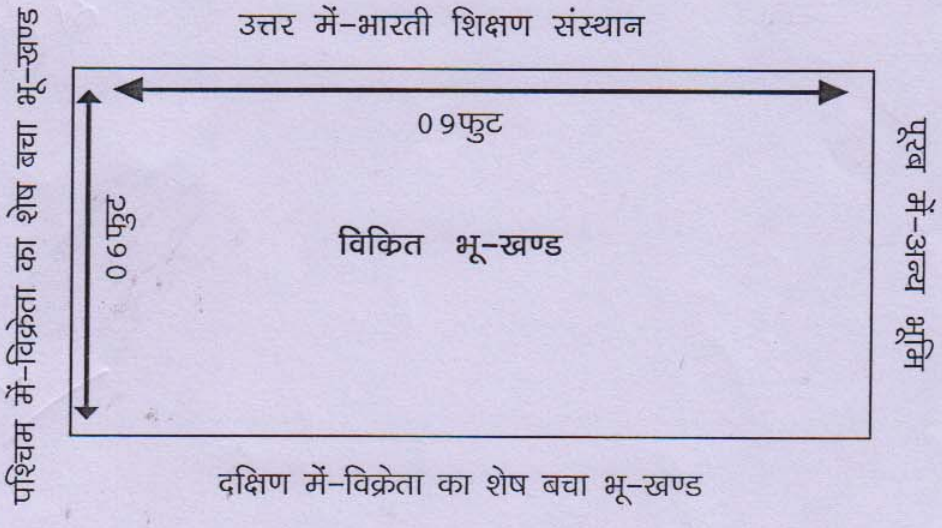

(सुमन देवी)
उपपंजीयक
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग
श्रीमाधोपुर (सीकर)

हस्ताक्षर विक्रेता

हस्ताक्षर क्रेता